

आवेदन पत्र को सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार 2018 में लाडा देवी पाली भूखाना न लाडा देवी पाली भूखाना दर्ज है। अतः पट्टान दरतावे जी के अनुसार नया दरतावे ही उचित आदेशों से प्रस्तावित है।

ग्राम पंचायत-पचलंगी
 पुं.स. उदयपुरवाटी (सुंशुनुं)
 क्रमांक राजस्व/2020/

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी

दिनांक

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है।

उचित किमा मीठा उचित है

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवाटी जिला सुंशुनुं (राज.)

- आदेश -

दिनांक :-

प्रशासन मार्गों के संघ अभियान 202

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्यत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
	331211 नवाप	2075	332	लाडा देवी पाली भूखाना	लाडा देवी पाली भूखाना राम
		-2078	333, 420	लाडा देवी पाली भूखाना	

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथायत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 15/12/2024

क्रमांक :- राजस्व/2020/2284/4
 तिथि :-

1. तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को वास्ते पालनाथ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी